झारखंड सरकार,

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक............................

संख्या :–01/नीति–05–05/2024–............................/झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 एवं 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, सह–पठित धारा 16 एवं 20 का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों के संचालन एवं शुल्कों के निर्धारण निमित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 01/नीति–05–05/2022–650 दिनांक 31.03.2022 द्वारा अधिसूचित ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022'' को अधिक्रांत करते हुए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ एवं परिभाषा –

1.1 यह नियमावली ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026'' कही जायेगी।

1.2 इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

1.3 यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं–

2.1 **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, 'झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915)';

2.2 **''राज्य''** से अभिप्रेत है, 'झारखंड राज्य';

2.3 **''विभाग''** से अभिप्रेत है, 'उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड';

2.4 **''कॉरपोरेशन''** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0;

2.5 **''खुदरा विक्रेता''** से अभिप्रेत है, विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न नियमावली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मदिरा की सीलबंद बोतलों की खुदरा बिक्री के लिए विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त अनुज्ञप्तिधारी;

2.6 **''मदिरा''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा–2(14) में यथा परिभाषित पेय;

2.7 **''ब्राण्ड''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड के विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित अपने व्यापार चिन्ह एवं नाम की मदिरा के विभिन्न प्रकार यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका, बीयर, वाईन एवं अन्य शराब, जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेता/विक्रेताओं के माध्यम से खुदरा मदिरा विक्रेताओं तथा होटल, रेस्तराँ,

बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों को बिक्री/उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जायेगा;

2.8 **''भारत निर्मित विदेशी शराब''** से अभिप्रेत है, भारत में बनायी हुई विदेशी शराब, जिसमें व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जीन, वोदका, बीयर, लो स्ट्रेंथ अल्कोहलिक बिवरेज (LAB) एवं वाईन इत्यादि सम्मिलित है;

2.9 **''आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद)''** से अभिप्रेत है, ''झारखंड उत्पाद (भारत में आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) के आयात, निर्यात, परिवहन, वितरकता एवं थोक बिक्री से संबंधित) नियमावली, 2012'' में यथा परिभाषित;

2.10 **"न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR)"** से अभिप्रेत है, अनुज्ञाधारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुज्ञप्ति परिसर में उपभोग हेतु उठाव की गई मदिरा में सन्निहित उत्पाद कर (Excise Duty), उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) एवं बार परिवहन शुल्क (Bar Transport Fee);

2.11 **''अनुज्ञप्ति प्राधिकार''** से अभिप्रेत है, जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त;

2.12 **''अनुज्ञप्ति स्वीकृति प्राधिकार''** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद;

2.13 **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात किसी भी कैलेण्डर वर्ष के 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के 31 (इकत्तीस) मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;

2.14 **''उत्पाद कर (Excise Duty)''** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 के तहत राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद कर।

2.15 **''उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)''** से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक बिक्री केन्द्र से होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर में, मदिरा के परिवहन की अनुमति हेतु, अग्रिम रूप में अधिरोपित किया जाना वाला कर।

2.16 ''**बार परिवहन शुल्क (Bar Transport Fee)**'' से अभिप्रेत है, थोक विक्रेता के गोदाम से होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा के परिवहन के निमित्त अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क। बार परिवहन शुल्क की गणना मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य के अंतर के अनुसार की जायेगी। बार परिवहन शुल्क की गणना अनुज्ञाधारकों के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की प्राप्ति/निर्धारण में की जायेगी;

2.17 **''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue)''** से अभिप्रेत है, वर्ष के दौरान होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब के लिए निर्धारित उत्पाद कर, उत्पाद परिवहन कर एवं बार परिवहन शुल्क का योग;

2.18 **''होटल''** से अभिप्रेत है, वैसे बोर्डिंग हाउस, लॉजिंग हाउस, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल या कोई घर या रेस्तराँ या कोई अन्य हॉल या क्लब या सोसायटी या इमारत शामिल है, जिसमें इससे जुड़े या संलग्न कोई भी परिसर/मैदान/आंगन शामिल है, चाहे वह खुला हो या नहीं, जहां कोई कमरा (कमरे) या ऐसा स्थान किसी व्यक्ति को किराए पर या अन्यथा विलासितापूर्ण सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराया जाता है;

2.18 **''रेस्तराँ''** से अभिप्रेत है, FSSAI से अनुज्ञप्ति प्राप्त वैसे प्रतिष्ठान/स्थान/परिसर, जिसमें भुगतान के बदले खाद्य या पेय पदार्थ का उपभोग करने की अनुज्ञा हो और जिसमें झारखंड पर्यटन विकास निगम एवं भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित कैफे, शॉपिंग मॉल, रेस्तराँ के साथ ही ऐसे अन्य स्थान, जहाँ खाद्य पदार्थ की बिक्री एवं उपभोग किये जाते हैं, सम्मिलित हैं;

2.19 **''बार''** से अभिप्रेत है, वैसे प्रतिष्ठान, जहाँ पर झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के तहत परिभाषित विभिन्न ब्राण्ड की विदेशी मदिरा की बोतलों को खोलकर पेग (PEG) (30ml एवं 60ml) अथवा बीयर की बोतलों/कैन को खोलकर विक्रय की अनुमति प्राप्त हो;

2.20 **''माइक्रो ब्रीवरी''** से अभिप्रेत है, ''झारखंड उत्पाद (माइक्रो ब्रीवरी) नियमावली, 2017'' में यथा परिभाषित;

2.21 **''खुली जगह''** से अभिप्रेत है, बिना दीवारों अथवा छत वाला खुला स्थल। अस्थायी तौर पर निर्मित दीवार अथवा छत, जिसका निर्माण कंकरीट का प्रयोग किये बिना किया गया है, भी खुले जगह की परिभाषा में सम्मिलित होंगे;

2.22 **''बंद जगह''** से अभिप्रेत है, एक बंद स्थान, जो कंकरीट निर्मित दीवारों एवं छत से घिरा हुआ हो;

2.23 **''संचालन अवधि''** से अभिप्रेत है, मदिरा परोसे जाने का प्रारम्भिक समय से लेकर बार को पूर्णतः बंद (Shutter Down) करने की अवधि;

2.24 **''क्लब''** से अभिप्रेत है, वैसा निबंधित प्रतिष्ठान, जहाँ सामान्य रूचि या लक्ष्य वाले लोगों का एक समूह या संघ साथ मिलकर कोई खेल/मनोरंजन क्लब अथवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते हों;

2.25 **''सोसाइटी''** से अभिप्रेत है, भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत निबंधित लोगों का एक समूह, जो किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, Charitable, सांस्कृतिक, मनोरंजन, खेलकूद अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से गठित किये गये हों;

2.26 **''Live Performance''** से अभिप्रेत है, संगीत, रंगमंच या नृत्य जैसी कोई भी कलात्मक प्रस्तुति जो दर्शकों के सामने वास्तविक समय में की जाती है, जो पहले से रिकॉर्ड किए गए शो या फिल्म से अलग है;

नोट :–इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं है का तात्पर्य वही होगा, जो झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई अन्य नियमावलियाँ में है।

3. **अनुज्ञप्ति के प्रकार**–

3.1 **उत्पाद प्रपत्र 8 की अनुज्ञप्ति**– ''होटल'' के कमरों में मदिरा संचयन, परोसने एवं उपभोग हेतु उत्पाद प्रपत्र– 8 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

3.2 **उत्पाद प्रपत्र 9 की अनुज्ञप्ति**– ''रेस्तराँ'' में मदिरा के संचयन, परोसने एवं उपभोग हेतु उत्पाद प्रपत्र– 9 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

3.3 **उत्पाद प्रपत्र 10 की अनुज्ञप्ति**– सीलबंद बोतलों को खोलकर पेग में विभिन्न माप के अनुसार मदिरा परोसने एवं उपभोग हेतु ''बार'' की अनुज्ञप्ति उत्पाद प्रपत्र– 10 में प्रदान की जायेगी।

3.4 **उत्पाद प्रपत्र 7'A' की अनुज्ञप्ति**–क्लब में सीलबंद बोतलों को खोलकर पेग में विभिन्न माप के अनुसार मदिरा संचयन, परोसने एवं उपभोग हेतु उत्पाद प्रपत्र– 7'A' में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

3.5 **उत्पाद प्रपत्र 11 की अनुज्ञप्ति**– विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, मनोरंजक एवं खेल–कूद इत्यादि से संबंधित आयोजनों में मदिरा परोसने एवं उपभोग हेतु अस्थायी/Occassional Bar की अनुज्ञप्ति उत्पाद प्रपत्र– 11 में प्रदान की जायेगी।

3.6 किसी होटल के द्वारा उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10 अथवा उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10 में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित किया जा सकता है। केवल उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10

की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने पर होटल के कमरों में मदिरा संचयन, परोसने एवं उपभोग परोसने की अनुमति नहीं होगी।

3.7 किसी रेस्तराँ में मदिरा संचयन, परोसने एवं उपभोग के लिए उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10 में अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की जायेंगी।

3.8 किसी क्लब में मदिरा संचयन, परोसने एवं उपभोग के लिए उत्पाद प्रपत्र 7'A' में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

4. <u>आवेदक</u> –होटल, रेस्तराँ, बार, क्लब एवं अस्थायी/Occassional Bar की अनुज्ञप्ति हेतु निम्न इकाईयाँ आवेदक हो सकते हैं –

4.1 **व्यक्ति**– भारत के 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक व्यक्तिगत क्षमता में नियम 3 में वर्णित सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए अनुसूची–1.1 में वर्णित कागजातों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

4.2 **प्रोपराइटरशीप फर्म**– भारत के 21 वर्ष से अधिक आयु के किसी नागरिक के द्वारा ''प्रोपराइटरशीप फर्म'' गठित कर नियम 3 में वर्णित सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए अनुसूची–1.2 में वर्णित कागजातों के साथ आवेदन किया जा सकता है।

4.3 **अविभाजित हिन्दु परिवार (Hindu Undivided Family)**– आयकर विभाग से पैन (Permanent Account Number) प्राप्त अविभाजित हिन्दु परिवार के कर्त्ता द्वारा नियम 3 में वर्णित सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए अनुसूची–1.3 में वर्णित कागजातों के साथ आवेदन किया जा सकता है।

4.4 **निबंधित साझेदारीफर्म**– भारत में निबंधित कोई भी साझेदारी फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा नियम 3 में वर्णित सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए अनुसूची–1. 4 में वर्णित कागजातों के साथ आवेदन किया जा सकता है।

4.5 **निबंधित सोसाइटी**–झारखंड राज्य में निबंधित कोई भी सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नियम 3 में वर्णित सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए अनुसूची–1.5 में वर्णित कागजातों के साथ आवेदन किया जा सकता है।

4.6 **कम्पनी**– कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत ROC (Registrar of Companies) में निबंधित किसी भी कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा नियम 3 में वर्णित सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए अनुसूची–1.6 में वर्णित कागजातों के साथ आवेदन किया जा सकता है।

5. **<u>आवेदक की पात्रता की अनिवार्य शर्त्तें</u>** –

5.1 आवेदक(व्यक्ति/प्रोपराइटरशीप फर्म/HUF का कर्त्ता/निबंधित सोसाइटी/कम्पनी के निदेशक/निबंधित साझेदारी फर्म के अधिकृत साझेदार/संस्थान के जिम्मेवार सदस्य), भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो।

5.2 आवेदक, व्यतिक्रमी / काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो।

5.3 आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।

5.4 आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया न हो।

5.5 आवेदक दिवालिया न हो।

5.6 आवेदक, यदि व्यक्ति / प्रोपराइटरशीप फर्म / HUF का कर्त्ता / निबंधित साझेदारी फर्म / निबंधित सोसाइटी / कम्पनी हो, तो आवेदक / प्रोपराइटरशीप फर्म के मालिक / HUF के कर्त्ता / निबंधित साझेदारी फर्म / निबंधित सोसाइटी / कम्पनी के सभी निदेशक एवं साझेदारों के लिए उपरोक्त शर्त्तों के अनुरूप योग्यता रखना आवश्यक होगा।

6. **अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य मापदण्ड–**

6.1 **<u>उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10 में क्रमशः होटल, रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य मापदण्ड</u> :–**

6.1.1 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान, होटल में कमरों की न्यूनतम संख्या 10 (दस) होनी चाहिए। होटल के प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल कम से कम 100 (सौ) वर्गफीट होनी चाहिए। संबंधित कमरे केवल होटल के उद्देश्य से ही बनाये / तैयार किये गये हो व उनकी दीवार एवं छत सीमेंटीकृत स्थाई होगी (Temporary Partition न हो)।

6.1.2 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान, होटल के द्वारा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.1.3 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान, होटल में यात्रियों के ठहरने वाले कमरों के अतिरिक्त, एक उपयुक्त विश्रान्तिका (Lounge) भी हो।

6.1.4 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में बार काउन्टर की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.1.5 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में मदिरा भंडार कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.1.6 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.1.7 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।

6.1.8 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.1.9 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में किचन की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.1.10 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में धूमपान करने के लिए अलग स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति को परेशानी न हो।

6.1.11 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में मैन्यू की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.1.12 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान का स्थल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रदत्त न्याय निदेश में वर्णित प्रतिबंधों से अच्छादित नहीं होना चाहिए।

6.2 **उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10 में क्रमशः रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य मापदण्ड** :–

6.2.1 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान के द्वारा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.2.2 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में बार काउन्टर की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.2.3 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में मदिरा भंडार कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.2.4 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.2.5 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।

6.2.6 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.2.7 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में किचन की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.2.8 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में धूमपान करने के लिए अलग स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति को परेशानी न हो।

6.2.9 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में मैन्यू की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.2.10 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान का स्थल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रदत्त न्याय निदेश में वर्णित प्रतिबंधों से अच्छादित नहीं होना चाहिए।

6.3 **क्लब (उत्पाद प्रपत्र 7 'क')** :–नियम 2.24 एवं 2.25 में परिभाषित क्लब तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के क्लब, स्टेट गेस्ट हाउस इत्यादि में अवस्थित बार संचालित किये जायेंगे, के लिए मापदण्ड –

6.3.1 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान का स्थल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रदत्त न्याय निदेश में वर्णित प्रतिबंधों से अच्छादित नहीं होना चाहिए।

6.3.2 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान के द्वारा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.3.3 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में बार काउन्टर की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.3.4 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में मदिरा भंडार कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.3.5 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.3.6 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।

6.3.7 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.3.8 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में किचन की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.3.9 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में ध्रूमपान करने के लिए अलग स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति को परेशानी न हो।

6.3.10 अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित प्रतिष्ठान में मैन्यू की व्यवस्था होनी चाहिए।

7. **<u>अनुज्ञप्ति हेतु अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि (Security Deposit)</u>–**

7.1 होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदक को अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क (Non-Refundable Application Fee) जमा करना होगा। आवेदन के विरूद्ध अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने अथवा अस्वीकृत किये जाने, दोनों ही स्थिति यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

7.2 अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क अनुसूची –2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.2 एवं 4 (जो लागू हो) के अनुरूप होगा।

7.3 अनुज्ञप्ति स्वीकृत हो जाने पर अनुज्ञाधारी को अनुज्ञप्ति के एवज में एकमुश्त वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि (Security Deposit) जमा करना होगा।

7.4 वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि अनुसूची –2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3. 2 एवं 4 (जो लागू हो) के अनुरूप होगा।

7.5 अस्थायी/Occassional Barके लिए अनुज्ञप्ति शुल्क अनुसूची – 5 के अनुरूप देय होगी।

7.6 आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत होने के पूर्व बैंक ड्राफ्ट अथवा Online Transfer के माध्यम से जमानत की राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति वाले जिले में अवस्थित अनुसूचित व्यवसायिक बैंक (Scheduled Commercial Bank) से e-Bank Guaranttee जमा करने की सुविधा होगी। e-Bank Guaranttee जमा करने पर उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी।

7.7 **जमानत की राशि की वापसी**—अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के उपरांत जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी बशर्ते अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित सभी बकायों और दावों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा किया जा चुका हो। ऐसा नहीं करने पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जमा की गई जमानत की राशि में से देय राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि को वापस कर दिया जायेगा।

7.8 अनुज्ञप्ति अवधि में अनुज्ञाधारी के देय बकायों के समायोजन के फलस्वरूप जमानत राशि में हुई कमी की प्रतिपूर्त्ति अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा 15 कार्य दिवसों के अंदर कर दिया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर ये अनुज्ञप्तियाँ स्वतः निलंबित हो जायेंगी। जमानत की राशि में हुई कमी की प्रतिपूर्त्ति करने के उपरांत ही ये अनुज्ञप्तियाँ निलंबन मुक्त होंगी।

8. **<u>अनुज्ञप्ति आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया—</u>**

8.1 उपरोक्त नये अनुज्ञप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अनुसूची 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3. 1, 3.2, 3.2 एवं 4 (जो लागू हो) के अनुरूप **अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क** के साथ ऑनलाइन आवेदन विभाग के जेलोन्स पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिला में किया जायेगा।

8.2 संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद इस नियमावली के तहत विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित नियम 6 में वर्णित अनिवार्य मापदण्डों, अनुसूची 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.6 (जो लागू हो)के अनुरूप दस्तावेजों, 6.1 के अनुरूप शपथ पत्र एवं स्थल की स्वयं जाँच करेंगे।

8.3 यदि होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन में यह अनुरोध किया जाता है कि अनुज्ञप्तियों का संचालन रात्रि 12 बजे के बाद की समयावधि में भी की जायेगी, तो वैसे आवेदन के साथ संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8.4 जाँच में पाये गये तथ्यों के आलोक में संबंधित जिला के उपायुक्त (अनुज्ञप्ति प्राधिकार), आयुक्त उत्पाद (अनुज्ञप्ति स्वीकृति प्राधिकार) को अनुशंसा अग्रसारित करेंगे।

8.5 आयुक्त उत्पाद, प्राप्त दस्तावेजों की समीक्षा कर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेंगे।

8.6 आयुक्त उत्पाद द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित सूचना संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

8.7 आयुक्त उत्पाद की स्वीकृति के उपरांत जिला के उपायुक्त (अनुज्ञप्ति प्राधिकार), अनुसूची 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.2 एवं 4 (जो लागू हो) के अनुरूप निर्धारित **अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अग्रिम जमानत राशि** प्राप्त कर अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे।

9. <u>अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय कर</u>–

9.1 अनुज्ञाधारी के द्वारा थोक विक्रेता से मदिरा का क्रय थोक बिक्री मूल्य,उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) एवं बार परिवहन शुल्क (Bar Transport Fee) का भुगतान कर किया जायेगा।

9.2 मदिरा के थोक बिक्री मूल्य में उत्पाद कर (Excise Duty), अतिरिक्त उत्पाद कर (Additional Excise Duty) एवं द्वितीय बिक्री बिन्दु तक अधिरोपित होने वाला मूल्य वर्धित कर (VAT) शामिल है।

9.3 थोक बिक्री केन्द्र से अनुज्ञाधारी द्वारा क्रय की गई मदिरा का क्रय मूल्य एवं होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब से पेग में मदिरा को परोस कर की गई बिक्री के एवज में प्राप्त विक्रय मूल्य की अंतर राशि पर भी अनुज्ञाधारी को मूल्य वर्धित कर (VAT) का भुगतान राज्यकर विभाग को करना होगा।

10. <u>न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व {Minimum Guaranteed Revenue (MGR)}</u>–

10.1 संबंधित जिला के उपायुक्त (अनुज्ञप्ति प्राधिकार) द्वारा प्रत्येक होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों हेतु वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित किया जायेगा, जिसका विभाजन मासिक एवं त्रैमासिक रूप में निम्नवत किया जायेगा –

क्र.	माह का नाम	मासिकनिर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व	त्रैमासिक का नाम	त्रैमासिकनिर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ विदेश निर्मित विदेशी मदिरा		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ विदेश निर्मित विदेशी मदिरा
1.	2	3	4	5
1.	अप्रैल	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%	प्रथम तिमाही	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 27%
2.	मई	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%		
3.	जून	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%		
4.	जुलाई	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 6%	द्वितीय तिमाही	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 19%
5.	अगस्त	वार्षिक न्यूनतम		

		प्रत्याभूत राजस्व का 6%		
6.	सितम्बर	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 7%		
7.	अक्टूबर	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%	तृतीय तिमाही	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 27%
8.	नवम्बर	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%		
9.	दिसम्बर	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%		
10.	जनवरी	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%	चतुर्थ तिमाही	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 27%
11.	फरवरी	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%		
12.	मार्च	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 9%		

10.2 वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण करते समय जिला के उपायुक्त निम्नांकित सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे –

10.2.1 किसी भी होटल, रेस्तरॉं एवं बार/रेस्तरॉं एवं बार क्लब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR), निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क से कम न हो।

10.2.2 पूर्व के वर्षो से चली आ रही अनुज्ञप्तियों का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में अनुज्ञप्तियों द्वारा जमा किये गये वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का औसत निकालकर किया जायेगा।

10.2.3 नई अनुज्ञप्तियों का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, अनुसूची 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.2 एवं 4 (जो लागू हो) में वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समतुल्य होगा।

10.2.4 यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में होटल, रेस्तरॉं एवं बार/रेस्तरॉं एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है तो वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण, जिला के उपायुक्त द्वारा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित करते हुए मासिक अनुपात में किया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप– यदि किसी वर्ष के माह जून की किसी भी तिथि को अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है, तो अनुज्ञाधारी के लिए संपूर्ण जून माह एवं माह जुलाई से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की पूर्त्ति करना अनिवार्य होगा।

10.2.5 राज्य में अवस्थित 3, 4 एवं 5 स्टार होटलों में अवस्थित होटल, रेस्तरॉं एवं बार और एयरपोर्ट पर अवस्थित रेस्तरॉं बार के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की

बाध्यता नहीं होगी, परंतु एतद् हेतु इन होटलों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्टार प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात जिला उत्पाद कार्यालय में समर्पित करना होगा।

10.2.6 केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के क्लब, स्टेट गेस्ट हाउस इत्यादि में संचालित हो रहे बार के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की बाध्यता नहीं होगी।

10.2.7 होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्तियों का आगामी वित्तीय वर्ष में नवीकरण कराये जाने की स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इन अनुज्ञप्तियों के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के निर्धारण हेतु आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्देश जारी किये जायेंगे।

10.2.8 मासिक एवं त्रैमासिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अनुरूपराजस्व अनुज्ञाधारी को जमा करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व पूर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में संबंधित माह के राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व, कोषागार में माह के अंतिम कार्य दिवस को जमा करना होगा। यदि माह के अंतिम कार्यदिवस राजपत्रित/बैंक अवकाश हो तो उसके अगले कार्यदिवस को उक्त राशि जमा करना होगा। उक्त कार्यदिवस को राजस्व क्षति के समतुल्य राशि जमा नहीं करने पर विलम्ब होने की स्थिति में शेष राजस्व की राशि पर प्रति दिन **1% (एक प्रतिशत)** की दर पर विलम्ब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पाद राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व को कोषागार में जमा नहीं करने की स्थिति में देय राजस्व क्षति एवं विलम्ब शुल्क को उनके द्वारा जमा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी।

10.2.9 यदि अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व से अधिक राजस्व जमा किया जाता है, तो अधिक उठाये गये राजस्व का समायोजन उक्त त्रैमास के किसी भी माह में किया जा सकेगा। परंतु माह जून, सितम्बर, दिसस्बर एवं मार्च को अंत होने वाले त्रैमास में अधिक जमा किये गये न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का समायोजन आगामी/अन्य त्रैमास में नहीं किया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप यदि अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 9% के स्थान पर 11% के समतुल्य न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्वजमा किया जाता है, तो आगामी माह में उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्वसे 2% कम राशि जमा करने की छूट होगी। परंतु माह जून,

सितम्बर, दिसस्बर एवं मार्च हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व से अधिक उठाव करने की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह में नहीं किया जा सकता है।

11. **अनुज्ञप्ति संचालन की अवधि** –इस नियमावली के नियम 3 के तहत सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों के **संचालन की सामान्य अवधि** निम्नरूपेण होगी –

11.1 झारखंड राज्य में अवस्थित सभी पाँच सितारा होटलों हेतु सामान्य ''संचालन अवधि'' रात्रि 12 बजे तक ही होगी। यह संचालन अवधि अधिकतम रात्रि 2 बजे तक अथवा रात्रि 4 बजे तक विस्तारित की जा सकेगी। अनुसूची– 2.1 में वर्णित अतिरिक्त वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर अतिरिक्त अवधि के लिए अनुज्ञप्तियों का संचालन किया जा सकेगा।

वर्ष के बीच में अनुज्ञप्तियों के सामान्य संचालन अवधि में विस्तार कराये जाने पर भी विस्तारित अवधि के लिए संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

11.2 झारखंड राज्य में अवस्थित सभी तीन एवं चार सितारा होटलों हेतु सामान्य ''संचालन अवधि'' रात्रि 12 बजे तक ही होगी। यह संचालन अवधि अधिकतम रात्रि 2 बजे तक विस्तारित की जा सकेगी। अनुसूची– 2.1 में वर्णित अतिरिक्त वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर अतिरिक्त अवधि के लिए अनुज्ञप्तियों का संचालन किया जा सकेगा।

वर्ष के बीच में अनुज्ञप्तियों के सामान्य संचालन अवधि में विस्तार कराये जाने पर भी विस्तारित अवधि के लिए संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

11.3 झारखंड राज्य के राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ जिला में अवस्थितहोटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार हेतु सामान्य ''संचालन अवधि'' रात्रि 12 बजे तक ही होगी। यह संचालन अवधि अधिकतम रात्रि 2 बजे तक विस्तारित की जा सकेगी। अनुसूची 2.2 एवं 3.1 में वर्णित अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर अतिरिक्त अवधि के लिए अनुज्ञप्तियों का संचालन किया जा सकेगा।

वर्ष के बीच में अनुज्ञप्तियों के सामान्य संचालन अवधि में विस्तार कराये जाने पर भी विस्तारित अवधि के लिए संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। विस्तारित अवधि के अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि होने पर तदनुसार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में वृद्धि की जायेगी।

11.4 झारखंड राज्य के देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग शहरी क्षेत्र की सीमा से 2 KM का परिधीय क्षेत्र में अवस्थित होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार

हेतु सामान्य ''संचालन अवधि'' रात्रि 12 बजे तक ही होगी। यह संचालन अवधि अधिकतम रात्रि 1 बजे तक विस्तारित की जा सकेगी। अनुसूची 2.3 एवं 3.2 में वर्णित अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर अतिरिक्त अवधि के लिए अनुज्ञप्तियों का संचालन किया जा सकेगा।

11.5 झारखंड राज्य के देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग शहरी क्षेत्र की सीमा से 2 KM का परिधी के बाहर अन्य क्षेत्र में अवस्थित होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार हेतु सामान्य ''संचालन अवधि'' रात्रि 12 बजे तक ही होगी। इन अनुज्ञप्तियों के संचालन की सामान्य अवधि से ज्यादा समय तक (अधिकतम 1 बजे रात्रि तक के लिए) अनुज्ञप्तियों के संचालन की अनुमति के लिए रू0 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) प्रति दिवस अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल की जायेगी।

11.6 झारखंड राज्य के दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार जिला में अवस्थित होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार हेतु सामान्य ''संचालन अवधि'' रात्रि 12 बजे तक ही होगी। इन अनुज्ञप्तियों के संचालन की सामान्य अवधि से ज्यादा समय तक (अधिकतम 1 बजे रात्रि तक के लिए) अनुज्ञप्तियों के संचालन की अनुमति के लिए रू0 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) प्रति दिवस अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल की जायेगी।

11.7 झारखंड राज्य में अवस्थित क्लब हेतु सामान्य ''संचालन अवधि'' रात्रि 12 बजे तक ही होगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के क्लब, स्टेट गेस्ट हाउस इत्यादि में अवस्थित बार तथा राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ जिला में क्लब के संचालन अवधि अधिकतम रात्रि 2 बजे तक विस्तारित की जा सकेगी। अनुसूची 4 में वर्णित अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर अतिरिक्त अवधि के लिए अनुज्ञप्तियों का संचालन किया जा सकेगा। अन्य जिलों में इन अनुज्ञप्तियों के संचालन की सामान्य अवधि से ज्यादा समय तक (अधिकतम 1 बजे रात्रि तक के लिए) अनुज्ञप्तियों के संचालन की अनुमति के लिए रू0 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) प्रति दिवस अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल की जायेगी।

12. **<u>अनुज्ञप्ति संचालन की अवधि विस्तार एवं जिला पुलिस की भूमिका</u>–** होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्तियों के तहत रात्रि 12 बजे के उपरांत मदिरा परोसे जाने की अनुमति दिये जाने के लिए जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

13. **<u>अनुज्ञप्ति संचालन की शर्त्तें</u>–** इस नियमावली के तहत सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियों का संचालन निम्नलिखित शर्त्तों के तहत किया जायेगा –

13.1 इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तिधारक, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

13.2 अनुज्ञप्ति स्वीकृति के समय समर्पित किये गये नक्शा के ब्लू प्रिन्ट में दर्शाये गये अनुज्ञप्ति परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आयुक्त उत्पाद की सहमति के बगैर अनुमान्य नहीं होगा।

13.2 अनुज्ञाधारी मुख्य बार काउन्टर के पास अनुमोदित नक्शा का ब्लू प्रिन्ट एवं अनुज्ञप्ति की प्रति को दृष्टिसुलभ स्थल पर प्रदर्शित करेगा।

13.4 अनुज्ञप्तिधारी को अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13.5 उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10 के अनुज्ञाधारी होटल के कमरों, ब्लू प्रिन्ट नक्शा में चिन्हित बार काउन्टर एवं अतिरिक्त बार काउन्टर से ही मदिरा परोस सकेगा। उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10 तथा उत्पाद प्रपत्र 7'A' के अनुज्ञाधारी ब्लू प्रिन्ट नक्शा में चिन्हित बार काउन्टर एवं अतिरिक्त बार काउन्टर से ही मदिरा परोस सकेगा।

होटल के कमरों, अनुमोदित रेस्तराँ एवं बार परिसर तथा अतिरिक्त बार काउन्टर से भिन्न अन्य स्थलों पर मदिरा परोसे जाने के लिए अस्थायी बार/Occassional Bar की अनुज्ञप्ति होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब के अनुज्ञाधारी को लेना आवश्यक होगा।

13.6 होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में सामान्यतः मदिरा परोसे जाने का एक ही काउन्टर अनुमोदित किया जायेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी अपने कंकरीट निर्मित दीवारों एवं छत से घिरा हुआ अनुज्ञप्ति परिसर में एक से अधिक काउन्टर पर मदिरा परोसे जाने की अनुमति चाहता है, तो अनुज्ञप्ति पदाधिकारी उस अतिरिक्त बार काउन्टर के लिए वित्तीय वर्ष/वर्ष के भाग के लिए रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क प्राप्त करेंगे। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त बार काउन्टर के संबंध में दी गई सहमति को मूल अनुज्ञप्ति में भी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा अंकित किया जायेगा।

13.7 इस नियमावली के अंतर्गत उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10/उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10/उत्पाद प्रपत्र 7'A' के अनुज्ञाधारी, मदिरा का उठाव अनुज्ञप्ति प्रदत्त थोक विक्रेता से ही करेंगे।

13.8 झारखंड राज्य में निबंधित मदिरा के ब्राण्डों से भिन्न मदिरा अनुज्ञप्ति परिसर में न तो संचित की जायेगी और न ही परोसी जायेगी।

13.9 मदिरा के उठाव हेतु जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा अनुज्ञाधारी के Indent के आधार पर पारक निर्गत किया जायेगा।

13.10 अनुज्ञाधारी के द्वारा मदिरा के थोक बिक्री मूल्य एवं बार परिवहन शुल्क (Bar Transport Fee) के भुगतान के उपरांत मदिरा का उठाव थोक बिक्री केन्द्र से किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी के द्वारा जमा किये गये बार परिवहन शुल्क एवं उत्पाद परिवहन कर के रूप में भुगतान की गई राशि को थोक विक्रेता (वर्तमान में JSBCL) के द्वारा राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा।

13.11 होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में भारत निर्मित विदेशी शराब यथा विहस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका इत्यादि की 750ML एवं उससे ऊपर माप की मदिरा के बोतलों की ही आपूर्त्ति की जायेगी।

13.12 अनुज्ञाधारी इन बोतलों में से ग्राहकों को पेग (60ml एवं 30ml) में मदिरा परोसेगा।

13.13 Pegमापक जार माप तौल विभाग से सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

13.14 प्रत्येक होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब अनुज्ञाधारी को पेग (Peg) के अनुसार विक्रय मूल्य, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को समर्पित करना अनिवार्य होगा एवं इसी मूल्य पर ग्राहकों को Peg के अनुसार Billing की जायेगी।

13.15 भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) एवं बीयर के सभी पैक साइज के बोतलों की आपूर्त्ति बार में की जायेगी। भारत में आयातित विदेशी निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर (मूल में बोतलबंद) (FMFL) की 60ML या न्यून साइज की बोतलों को भी अनुज्ञाधारी रख सकेगा एवं ग्राहकों की मांग के अनुरूप परोसेगा। इस मदिरा का उपभोग बार परिसर में ही करना होगा।

13.16 होटल, रेस्तराँ, बार/रेस्तराँ, बार/क्लब के अनुज्ञाधारी को राज्यकर विभाग मे वैट का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।अनुज्ञाधारी को उत्पाद प्रपत्र 1D (थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी) अनुज्ञप्ति से मदिरा के क्रय मूल्य {थोक बिक्री मूल्य एवं Bar TransportFee (BTF) का योग} तथा Peg वार विक्रय मूल्य की अंतर राशि पर वाणिज्यकर विभाग द्वारा अधिसूचित दर पर VAT जमा करना अनिवार्य होगा। उत्पाद प्रपत्र 1D अनुज्ञप्ति से खरीद मूल्य तथा होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब से बिक्री मूल्य की अंतर राशि Inclusive of VAT होगा।

13.17 महामारी या आपदा संक्रमण काल में उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों का संचालन अवधि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश या आदेश से अच्छादित होगा।

13.18 इस नियमावली के तहत अनुज्ञाधारी द्वारा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के तहत सदस्य, राजस्व पर्षद एवं विशेष आदेश के

तहत जिला के उपायुक्त द्वारा घोषित शुष्क दिवस के दिन ग्राहकों को मदिरा नहीं परोसी जायेगी।

13.19 होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, मदिरा संचयन स्थल (Liquor Storage), बार काउन्टर एवं ग्राहकों के बैठने वाले स्थानों पर पर्याप्त IP Based CCTV Camera का अनिवार्य रूप से अधिष्ठापन करना होगा, जो 24 x 7 घंटे चालू रहेगा। CCTV Camera का DVRStorage कम से कम 15 दिन का होना चाहिए। CCTV Camera संचालन के लिए अबाधित बिजली चालू रहे, इसके लिए Inverter/UPS इत्यादि की व्यवस्था अनुज्ञाधारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।

न्यूनतम गत 15 दिनों का CCTV Camera का वीडियो Cloud पर संरक्षित रखना अनिवार्य होगा एवं इसका User IDएवं Password संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को Share किया जायेगा।

13.20 होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर में किसी प्रकार का स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थो के उपभोग एवं व्यापार प्रतिबंधित होगा तथा इससे संबंधित परिसर के प्रवेश द्वार के दृष्टिसुलभ स्थल पर Anti Drug Awarness Warning (Signage Board) स्टील बोर्ड में अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा।

13.21 होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13.22 प्रत्येक अनुज्ञाधारी को अपने अनुज्ञप्ति परिसर में Decible Meter स्थापित करना अनिवार्य है।

13.23 प्रत्येक रेस्तराँ एवं बार NoSmoking Zone रहेगा।

13.24 Smoking की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को अलग से Smoking Zone स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि सह–उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो। Smoking Zone स्थापित किये बगैर धुम्रपान करने पर एतद् हेतु लागू निषेधात्मक कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी।

13.25 होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर में तेज धारदार हथियार, शस्त्र/आग्नेय अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा। जो व्यक्ति बार परिसर में हथियारों के साथ प्रवेश करेगा, उसके ऊपर रू0 100000/– (एक लाख रूपये) तक का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। अवैध हथियार धारण करने पर पुलिस विभाग द्वारा Arms Act के तहत अलग से कार्रवाई की जायेगी।

13.26 यदि किसी परिसर में संचालित बार की अनुज्ञप्ति किसी कारणवश, विखंडित हो जाती है, तो तीन वर्ष के अंदर उस अनुज्ञप्ति परिसर में एवं उस इकाई को अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।

13.27 यदि किसी परिसर में संचालित बार की अनुज्ञप्ति किसी कारणवश नवीकरण नहीं कराया जाता है, तो उस परिसर में होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की दुबारा अनुज्ञप्ति न्यूनतम तीन वर्ष के अंतराल पर ही स्वीकृत की जायेंगी।

13.28 वैसे होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारी, जिन्हें उत्पाद प्रपत्र 18 'A' में माइक्रो ब्रीवरी के संचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है, उनके लिए माईक्रो ब्रीवरी में अधिष्ठापित वैट में तैयार बीयर के Exit point पर Sealed Mass Flow Meter का अधिष्ठापन करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारी को उत्पादित बीयर की विवरणी (Mass Flow Meter के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन) संबंधित जिला उत्पाद कार्यालय को मासिक रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। Mass Flow Meter के प्रतिवेदन के आधार पर विभाग को प्राप्त होने वाली राजस्व की गणना की जायेगी।

13.29 यदि किसी होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारी द्वारा किसी विशिष्ट कलाकार का Live Performace अनुज्ञप्ति परिसर में आयोजित किया जाता है, तो उसे इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के अनुज्ञप्ति प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.30 बार परिसर में महिला कर्मी की नियुक्ति हेतु झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 की धारा 25(2) के अनुरूप सदस्य, राजस्व पर्षद की सहमति आवश्यक होगी। एतद् हेतु अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जिला के उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त उत्पाद को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। आयुक्त उत्पाद के द्वारा सदस्य, राजस्व पर्षद का निर्णय प्राप्त कर संबंधित जिला के उपायुक्त को संसूचित किया जायेगा।

13.31 खाली हुये कार्टन/मोनोकार्टन/बोतल/ढक्कनों का संबंधित क्षेत्रीय निरीक्षक उत्पाद/ अवर निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद से सत्यापित कराने के उपरांत विनष्ट कर उसके हटाने की जिम्मेवारी अनुज्ञाधारी की होगी।

13.32 अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा–जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा।

भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा। आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत

संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से होटल में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा।

13.33 अनुज्ञप्ति परिसर में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा नहीं परोसी जायेगी।

13.34 अनुज्ञप्ति परिसर में डयूटी में पदस्थापित वर्दीधारी कर्मी को मदिरा नहीं परोसी जायेगी।

13.35 अनुज्ञाधारी बार काउन्टर के समीप दृष्टि सुलभ स्थल पर निम्न हिदायतों (Warnings) को अवश्य अंकित करेगा –

13.35.1 ''मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'',

13.35.2 ''शराब पीकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है'',

13.35.3 ''21 वर्ष से कम उम्र के उपभोक्ताओं के लिए मदिरा का सेवन प्रतिबंधित है'',

13.35.4 ''शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर'',

13.36 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरांत कोई भी अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति कोअनुज्ञप्ति प्राधिकार की अनुमति के बगैर हस्तांतरण नहीं कर पायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में उस आवेदक के पक्ष में निर्गत अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी जायेंगी तथा उनके द्वारा जमा जमानत की राशि एवं सभी प्रकार की अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध विभाग, भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रवृत्त होगा।

13.37 अनुज्ञाधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ–छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो।

13.38 अनुज्ञाधारी, किसी भी दशा में मदिरा भंडार कक्ष की बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

13.39 अनुज्ञाधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखेगा।

13.40 अनुज्ञाधारी, अपने परिसर की समुचित देख–रेख और सफाई के लिए, अनुज्ञप्ति परिसर की नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।

14. <u>अनुज्ञप्ति नवीकरण</u>–

14.1 सामान्यतः अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के उपायुक्त द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि के पूर्व किया जायेगा।

14.2 अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन/आवेदन अनुसूची–6.7 के अनुरूप कागजातों एवं अनुसूची–11.2 के अनुरूप शपथ पत्र के साथ चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिनों के पूर्व जमा कर दिया जायेगा। अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन/आवेदन जिस तिथि को समर्पित किया जायेगा, उसके 45 दिनों के अंदर नवीकरण संबंधी निर्णय ले लिया जायेगा। विलंब से अभ्यावेदन समर्पित करने पर अनुज्ञप्तियों में नवीकरण में हुई विलंब के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

14.3 अनुज्ञप्तियों का नवीकरण शुल्क, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समान होगा।

14.4 31 मार्च तक अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं कराने की स्थिति में एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 30 जून तक इस प्रकार के अनुज्ञप्तियों के नवीकरण कराने हेतु आवेदन समर्पित करने पर समीक्षोपरांत आयुक्त उत्पाद की अनुमति के आलोक में जिला के उपायुक्त के द्वारा अनुज्ञप्तियों का नवीकरण किया जा सकेगा।

ऐसे अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु नवीकरण शुल्क के साथ–साथ वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का एक चौथाई विलंब शुल्क तथा उक्त इकाई का अनवीकृत अवधि का निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व जमा करना होगा। अर्थात ऐसे अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु नवीकरण शुल्क + नवीकरण शुल्क का 1/4 विलंब शुल्क + अनवीकृत अवधि का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व देय होगा।

14.5 30 जून तक अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु वांछित राशि के साथ आवेदन समर्पित नहीं करने पर अनुज्ञप्ति स्वतः विखंडित हो जायेंगी।

15. **अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तियों का वैध वारिस को स्थानांतरण–**

15.1 अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो उसका हस्तांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को किया जा सकेगा, बशर्त्ते कि वह वैध वारिश अनुज्ञप्ति धारण करने की सभी शर्त्तों को पूर्ण करता हो।

15.2 अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु एवं उसके वैध वारिश को अनुज्ञप्ति हस्तांतरण के बीच की अवधि में अनुज्ञप्तियों का संचालन नहीं किया जायेगा। इस अवधि के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व पूर्ण करने की बाध्यता भी अनिवार्य नहीं होगी।

16. **अर्थदण्ड–** इस नियमावली के नियम 3 में वर्णित सभी प्रकार के अनुज्ञप्ति के अनुज्ञाधारी के द्वारा की जा रही अनियमितता एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लंघन हेतु प्रशमन शुल्क अनुसूची–12.1 के अनुरूप भुगतेय होगी।

17. **अनुज्ञप्ति का निलंबन एवं निरस्तीकरण –**

17.1 अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निम्न परिस्थितियों में निलंबित या निरस्त कर सकता है –

17.1.1 यदि अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा की कोई बोतल पायी जाय, जिसपर शुल्क/कर का भुगतान नहीं किया गया हो, और जिसपर आयुक्त उत्पाद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में उत्पाद विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चिपकाया नहीं गया हो।

17.1.2 यदि अनुज्ञप्ति परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि के बोतल या पात्र (जिसके लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई है), की बोतल या पात्र पाये जाते हैं।

17.1.3 झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के तहत बने नियमों/उपनियमों के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में यदि कोई मदिरा या मादक औषधि पाया जाता है।

17.1.4 यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृति/अनुज्ञप्ति नवीकरण के समय आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र में किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

17.1.5 यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञप्ति फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुज्ञापन धारण किये हुए हैं।

17.1.6 यदि अनुज्ञप्तिधारी त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व एवं अन्य देयताओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करता है तथा न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की मांग उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि से अधिक हो जाती है।

17.1.7 यदि अनुज्ञाधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में पेग (Peg) हेतु घोषित बिक्री मूल्य से ज्यादा मूल्य पर मदिरा की बिक्री करेगा।

17.1.8 यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने अनुज्ञप्ति परिसर से भारत में आयातित विदेश निर्मित विदेशी शराब/भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर/ब्रिजर/जिन इत्यादि की Sealed बोतलों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

17.1.9 यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने अनुमोदित अनुज्ञप्ति परिसर से भिन्न स्थल में मदिरा का परोसा जाता है।

17.1.10 यदि अनुज्ञप्तिधारी को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो।

17.2 **<u>अनुज्ञप्तियों के निलंबन/निरस्तिकरण की प्रक्रिया</u>**–

17.2.1 अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति के समपहरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं इस संबंध में अनुज्ञाधारी से उत्तर प्राप्त होने के अंतराल में साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनुज्ञप्ति प्राधिकार अनुज्ञप्ति को झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 42 के तहत निलंबित कर सकता है। निलंबन अवधि में उस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की बाध्यता भी शिथिल रहेगी। अनुज्ञप्तिधारी नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात एतद संबंधी उपयुक्त आदेश 15 दिनों के अंदर पारित करेगा।

17.2.2 अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई जमानत की राशि एवं अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अगले पाँच वर्षो के लिए काली सूची में भी डाला जायेगा तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाईसेंस धारित करने से वर्जित किया जायेगा।

18. अपीलीय प्रावधान –इस नियमावली के तहत किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई हेतु अपीलीय प्रावधान झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 की धारा 8 एवं अधिसूचना संख्या 471/F दिनांक 15.01.1919 द्वारा निर्गत नियमावली के अनुरूप लागू होगा।

19. अस्थायी बार –

19.1 अस्थायी/Occasional Bar की अनुज्ञप्ति हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क अनुसूची–5 के अनुरूप देय होगा एवं अनुज्ञप्तियों का संचालन उक्त अनुसूची में वर्णित संचालन अवधि के अनुरूप किया जायेगा।

19.2 ये अनुज्ञप्तियाँ दिनों की संख्या के अनुसार प्रदान की जायेंगी एवं अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिदिन की दर से वसूला जायेगा। प्रतिदिन का अर्थ किसी भी दिन के प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक है।

19.3 अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों को निर्गत करने के लिए विकसित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के जेलोन्स पोर्टल (JELONS Portal) पर निबंधन कर अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति के लिए आयोजन की तिथि से सामान्यतः एक सप्ताह पूर्व अनुसूची–8 के अनुरूप कागजातों एवं अनुसूची–6.3 के अनुरूप शपथ पत्र के साथ अभ्यावेदन समर्पित करेगा।

19.4 समर्पित अभिलेखों एवं अभ्यावेदन की जाँच जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा 24 घंटों के अंदर की जायेगी एवं अनुज्ञप्ति स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में आवश्यक निर्णय ले लिया जायेगा।

19.5 सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने के उपरांत ही आवेदक जेलोन्स पोर्टल से अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति डाउनलोड कर सकेगा।

19.6 अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में आवेदक के द्वारा जमा किया गया अनुज्ञप्ति शुल्क वापस कर दिया जायेगा।

19.7 अस्थायी/Ocassional Bar हेतु मदिरा का क्रय उस जिला में अवस्थित दुकान से ही किया जाना अनिवार्य है, ताकि राज्य सरकार को राजस्व की क्षति नहीं हो।

19.8 अन्य स्थलों से लायी गई Non Duty Paid शराब को इन अस्थायी/Ocassional Bar में परोसा नहीं जायेगा। ऐसा करते हुए पाये जाने पर झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी साथ ही अनुसूची –7.2 के अनुरूप आयोजक तथा स्थल मालिक दोनों के ऊपर दाण्डिक शुल्क अधिरोपित की जायेगी।

19.9 अस्थायी/Ocassional Bar के अनुज्ञाधारी के द्वारा प्रशमन योग्य अनियमितताओं का निस्तारण अनुसूची 7.2 के अनुरूप किया जायेगा।

19.10 ***"झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा दुकानों का संचालन) नियमावली, 2025"*** में वर्णित अधिकतम क्रय सीमा से संबंधित बंधेज अस्थायी एवं Ocassional Bar के लिए लागू नहीं होंगे।

19.11 सदस्य, राजस्व पर्षद एवं विशेष आदेश के तहत जिला के उपायुक्त द्वारा घोषित शुष्क दिवस के दिन अस्थायी बार/Ocassional Bar की अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।

20. सामान्य –

20.1 "**झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली 2025"** में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम के व्याख्या में संशय होने पर आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अन्तिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और राजस्व/प्रशासनिक/व्यावसायिक हितों की सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने तथा निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

20.2 निरस्त अनुज्ञप्ति परिसर में संचित मदिरा का हस्तांतरण पर्षदीय अनुदेश के नियम 117 के अनुरूप किया जायेगा।

20.3 आगामी वित्तीय वर्ष हेतु नवीकृत अनुज्ञप्तियों के वॉलेट में जमा अवशेष राशि को JSBCL द्वारा माह अप्रैल के 10 तारीख तक वॉलेट में हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

20.4 इस नियमावली के पूर्ण रूप से प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/आदेश/प्रपत्र/विहित फार्म जारी कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा, जो इस नियमावली के विपरीत हो।

20.5 इस नियमावली को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूर्त्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

21. **निरसन**—उपरोक्त सभी प्रकार के अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी पूर्व निर्गत नियमावली/अनुदेश/अधिसूचना इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निरसित हो जायेगी और सभी उपरोक्त अनुज्ञप्ति इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी आदेश/अनुदेश/अधिसूचना की अधीन हो जायेगी।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अमिताभ कौशल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–05/2024–....................../ राँची, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखंड राज्य के राजकीय गजट में अविलंब करें तथा प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–05/2024–....................../ राँची, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–05/2024–....................../ राँची, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :–महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखंड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान

सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड / सभी उपायुक्त / उपायुक्त उत्पाद / सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :— 01 / नीति—05—05 / 2024—...................... / राँची, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :— प्रबंध निदेशक, JSBCL, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची –1

होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय समर्पित किया जाने वाला अभिलेख –

1.1 **एकल व्यवसाय (व्यक्ति) की स्थिति में वांछित कागजात (देखें नियम 4.1)** :–

1.1.1 आवेदक का वैयक्तिक पहचान पत्र एवं पता (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),

1.1.2 प्रस्तावित स्थल पर यदि अनुज्ञप्ति का संचालन रात्रि 12:00 बजे के बाद किया जाना है, तो उस स्थिति में जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का विधि व्यवस्था से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

1.1.3 प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)

1.1.4 आवेदक का आवेदन की तिथि से दो माह के अंदर का डाउनलोडेड आधार की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

1.1.5 आवेदक का विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का आयकर रिर्टन की प्रति;

1.1.6 प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज

1.1.7 झारखंड राज्य में GST निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र

1.1.8 झारखंड राज्य में VAT निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र

1.1.9 उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में घोषणा पत्र

1.1.10 आवेदक को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त होना चाहिए।

1.1.11 आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

1.2 **प्रोपराइटरशीप फर्म की स्थिति में वांछित दस्तावेज(देखें नियम 4.2)** :–

1.2.1 आवेदक का वैयक्तिक पहचान पत्र एवं पता (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),

1.2.2 प्रस्तावित स्थल पर यदि अनुज्ञप्ति का संचालन रात्रि 12:00 बजे के बाद किया जाना है, तो उस स्थिति में जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का विधि व्यवस्था से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

1.2.3 प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)

1.2.4 आवेदक का आवेदन की तिथि से दो माह के अंदर का डाउनलोडेड आधार की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

1.2.5 कर्ता (व्यक्तिगत रूप से) का विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का आयकर रिर्टन की प्रति;

1.2.6 प्रोपराइटरशीप फर्म का पैन कार्ड की प्रति;

1.2.7 प्रोपराइटरशीप फर्म का विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का आयकर रिर्टन की प्रति;

1.2.8 प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज

1.2.9 झारखंड राज्य में प्रोपराइटरशीप फर्म का GST निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र

1.2.10 झारखंड राज्य में प्रोपराइटरशीप फर्म का VAT निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र

1.2.11 उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में घोषणा पत्र

1.2.12 आवेदक को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त होना चाहिए।

1.2.13 आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

1.3 **<u>हिन्दु अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) की स्थिति में वांछित दस्तावेज (देखें नियम 4.3)</u>** :–

1.3.1 कर्ता का वैयक्तिक पहचान पत्र एवं पता (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),

1.3.2 प्रस्तावित स्थल पर यदि अनुज्ञप्ति का संचालन रात्रि 12:00 बजे के बाद किया जाना है, तो उस स्थिति में जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का विधि व्यवस्था से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

1.3.3 प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)

1.3.4 कर्ता का आवेदन की तिथि से दो माह के अंदर का डाउनलोडेड आधार की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

1.3.5 कर्ता एवं HUF का विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का आयकर रिर्टन की प्रति;

1.3.6 कर्ता एवं HUF का पैन कार्ड की प्रति;

1.3.7 प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज

1.3.8 झारखंड राज्य में GST निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र

1.3.9 झारखंड राज्य में VAT निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र

1.3.10 उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में घोषणा पत्र

1.3.11 आवेदक को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त होना चाहिए।

1.3.12 आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

1.4 **<u>आवेदक, यदि निबंधित साझेदारी फर्म हो (देखें नियम 4.4)</u>** –

1.4.1 आवेदक का वैयक्तिक पहचान पत्र एवं पता (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),

1.4.2 प्रस्तावित स्थल पर यदि अनुज्ञप्ति का संचालन रात्रि 12:00 बजे के बाद किया जाना है, तो उस स्थिति में जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का विधि व्यवस्था से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

1.4.3 प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, जाँच पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)।

1.4.4 साझेदारी फर्म का झारखंड राज्य में GST निबंधन संबंधी कागजात।

1.4.5 साझेदारी फर्म का झारखंड राज्य में VAT निबंधन संबंधी कागजात।

1.4.6 निबंधित साझेदारी फर्म द्वारा विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षो का आयकर रिर्टन एवं सभी साझेदारों का विगत तीन वित्तीय वर्षो का व्यक्तिगत आयकर रिर्टन की प्रति, फर्म का बैलेंस शीट।

1.4.7 प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज।

1.4.8 सभी साझेदार की सूची तथा स्थायी पता (पहचान पत्र/दस्तावेज सहित)।

1.4.9 उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र/प्राधिकार पत्र।

1.4.10 Indian Partnership Act, 1932 के तहत निबंधित साझेदारी डीड।

1.4.11 निबंधित साझेदारी फर्म के द्वारा घोषणा पत्र कि वह General Partnership Firm (GP)/Limited Partnership Firm (LP)/Limited Liability Partnership Firm (LLP)/Limited Liability Company (LLC) में से किस प्रकार का साझेदारी फर्म है।

1.4.12 साझेदारी फर्म के अद्यतन बैंक खाता की प्रति।

1.4.13 प्रत्येक साझेदार द्वारा रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति लेने संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र।

1.4.14 भवन जिसमें अनुज्ञप्ति का संचालन किया जायेगा, के नक्शा का अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा होना चाहिए।

1.4.15 आवेदक/फर्म के सभी साझेदारों का आवेदन की तिथि से दो माह के अंदर का डाउनलोडेड आधार की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

1.4.16 प्रस्तावित फर्म को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त होना चाहिए।

1.4.17 आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

1.5 **<u>आवेदक, यदि निबंधित सोसाइटी हो(देखें नियम 4.5) –</u>**

1.5.1 आवेदक का वैयक्तिक पहचान पत्र एवं पता (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),

1.5.2 प्रस्तावित स्थल पर यदि अनुज्ञप्ति का संचालन रात्रि 12:00 बजे के बाद किया जाना है, तो उस स्थिति में जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का विधि व्यवस्था से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

1.5.3 प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, जाँच पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)।

1.5.4 निबंधित सोसाइटी का झारखंड राज्य में GST निबंधन संबंधी कागजात।

1.4.5 निबंधित सोसाइटी का झारखंड राज्य में VAT निबंधन संबंधी कागजात।

1.5.6 निबंधित सोसाइटी द्वारा विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षो का आयकर रिर्टन एवं उसके मुख्य कार्यकारी सदस्य का विगत तीन वित्तीय वर्षो का व्यक्तिगत आयकर रिर्टन की प्रति, फर्म का बैलेंस शीट।

1.5.7 प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज।

1.5.8 मुख्य कार्यकारी सदस्य की सूची तथा स्थायी पता (पहचान पत्र/दस्तावेज सहित)।

1.5.9 उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र/प्राधिकार पत्र।

1.5.10 The Societies Registration Act, 1960 के तहत Registrar of Societies के समक्ष निबंधित डीड।

1.5.11 निबंधित सोसाइटी का Memorandum of Association की प्रति।

1.5.12 निबंधित सोसाइटी के बैंक खाता की प्रति।

1.5.13 मुख्य कार्यकारी सदस्य द्वारा रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति लेने संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र।

1.5.14 आवेदक/निबंधित सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी सदस्य का आवेदन की तिथि से दो माह के अंदर का डाउनलोडेड आधार की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

1.5.15 प्रस्तावित निबंधित सोसाइटी को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त होना चाहिए।

1.5.16 आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

1.6 <u>आवेदक, यदि कम्पनी हो, तो (देखें नियम 4.6) –</u>

1.6.1 आवेदक का वैयक्तिक पहचान पत्र एवं पता (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),

1.6.2 प्रस्तावित स्थल पर यदि अनुज्ञप्ति का संचालन रात्रि 12:00 बजे के बाद किया जाना है, तो उस स्थिति में भी जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का विधि व्यवस्था से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

1.6.3 प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, जाँच पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)

1.6.4 कम्पनी का झारखंड राज्य में GST एवं VAT निबंधन संबंधी कागजात

1.6.5 कम्पनी का विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षो का आयकर रिर्टन

1..6.6 कम्पनी का CA द्वारा निर्गत कम्पनी का बैलेंस शीट (Balance Sheet)।

1.6.7 कम्पनी का लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account);

1.6.8 प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज

1.6.9 सभी निदेशकों की सूची, स्थायी पता (पहचान पत्र/दस्तावेज सहित) तथा

1.6.10 सभी निदेशकों का DIN No. ।

1.6.11 प्रस्तावित स्थल पर बार के अनुज्ञप्ति प्राप्त करने संबंधी निदेशक मंडल के निर्णय की प्रति।

1.6.12 कम्पनी के अद्यतन बैंक खाता की प्रति।

1.6.13 उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में निदेशक मंडल का निर्णय एवं प्राधिकार पत्र।

1.6.14 कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation)

1.6.15 कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association)

1.6.16 Indian Companies Act, 2013 के तहत कम्पनी की अवस्थिति से संबंधित प्रपत्र की प्रति;

1.6.17 Indian Companies Act, 2013 के तहत कम्पनी के निदेशकों के संबंध में सूचना से संबंधित प्रपत्र की प्रति;

1.6.18 कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र;

1.6.19 आवेदक/कम्पनी के सभी निदेशकों का आवेदन की तिथि से दो माह के अंदर का डाउनलोडेड आधार की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

1.6.20 भवन जिसमें अनुज्ञप्ति का संचालन किया जायेगा, के नक्शा का अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा होना चाहिए।

1.6.21 प्रस्तावित कम्पनी को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त होना चाहिए।

1.6.22 आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

<u>अनुसूची –1.7 (देखें नियम 14)</u>

होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु आवेदन के साथ समर्पित किया जाने वाला अभिलेखों की सूची –

1.7.1 गत वर्ष की आयकर रिर्टन की प्रति।

1.7.2 गत वर्ष का GST Return की प्रति।

1.7.3 गत वर्ष का VAT Return की प्रति।

1.7.4 विहित प्रपत्र में शपथ पत्र।

1.7.5 आवेदक/फर्म के सभी साझेदार/कम्पनी के सभी निदेशकों का विगत दो माह के अंदर का डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड की प्रति।

1.7.6 अद्यतन FSSAI अनुज्ञप्ति की प्रति।

उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10 में अनुज्ञप्ति हेतु अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, जमानत की राशि एवं उनके संचालन अवधि

अनुसूची –2.1 (देखें नियम – 7, 8 एवं 11)

झारखंड राज्य में अवस्थित 3, 4 एवं 5 स्टार होटलों हेतु

होटल का प्रकार	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*					
			बंद जगह में बार का संचालन होने पर			*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*		
			प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि 2 बजे तक	प्रातः 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि 2 बजे तक	प्रातः 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	
संपूर्ण राज्य में 5 स्टार अवस्थित	2 लाख रूपये	6 लाख (छः लाख रूपये)	20 लाख (बीस लाख रूपये)	22 लाख (बाइस लाख रूपये)	24 लाख (चौबीस लाख रूपये)	22 लाख (बाइस लाख रूपये)	24 लाख (चौबीस लाख रूपये)	26 लाख (छब्बीस लाख रूपये)
संपूर्ण राज्य में 3 एवं 4 स्टार अवस्थित	1 लाख रूपये	6 लाख (छः लाख रूपये)	15 लाख (पन्द्रह लाख रूपये)	17 लाख (सतरह लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में	17 लाख (सतरह लाख रूपये)	19 लाख (उन्नीस लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में

अनुसूची –2.2 (देखें नियम – 7, 8 एवं 11)

राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम जिला सरायकेला खरसावाँ जिला में अवस्थित होटलों हेतु (3, 4 एवं 5 स्टार होटलों को छोड़कर)

क्र0	*क्षेत्र/ अनुज्ञप्ति का नाम*	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*			
				बंद जगह में बार का संचालन होने पर		*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*	
				प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2:00 बजे तक**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय शहर एवं सरायकेला खरसावाँ जिला के आदित्यपुर शहर एवं उसकी सीमा के 3 KM का परिधीय क्षेत्र	1 लाख रूपये	6 लाख (छः लाख रूपये)	13 लाख (तेरह लाख रूपये)	15 लाख (पन्द्रह लाख रूपये)	15 लाख (पन्द्रह लाख रूपये)	17 लाख (सत्तरह लाख रूपये)
2	राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ जिला के अन्य क्षेत्र	1 लाख रूपये	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	8 लाख (आठ लाख रूपये)	10 लाख (दस लाख रूपये)	10 लाख (दस लाख रूपये)	12 लाख (बारह लाख रूपये)

अनुसूची –2.3 (देखें नियम – 7, 8 एवं 11)

देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिला में अवस्थित होटलों हेतु (3, 4 एवं 5 स्टार होटलों को छोड़कर)

क्र0	*क्षेत्र/ अनुज्ञप्ति का नाम*	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*			
				बंद जगह में बार का संचालन होने पर		*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*	
				प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग का मुख्यालय शहर एवं उसकी सीमा के2 KM का परिधीय क्षेत्र	1 लाख रूपये	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	10 लाख (दस लाख रूपये)	11 लाख (ग्यारह लाख रूपये)	12 लाख (बारह लाख रूपये)	13 लाख (तेरह लाख रूपये)
2	उक्त के अतिरिक्त इन जिलों के अन्य क्षेत्र	50 हजार रूपये	4 लाख (चार लाख रूपये)	7 लाख (सात लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में	9 लाख (नौ लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में

अनुसूची –2.4 (देखें नियम – 7, 8 एवं 11)

दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार जिला में अवस्थित होटलों हेतु (3, 4 एवं 5 स्टार होटलों को छोड़कर)

क्र0	*क्षेत्र/ अनुज्ञप्ति का नाम*	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*			
				बंद जगह में बार का संचालन होने पर		*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*	
				प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार का मुख्यालय शहर एवं उसकी सीमा के 1 KM का परिधीय क्षेत्र	50 हजार रूपये	4 लाख (चार लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में	11 लाख (ग्यारह लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में
2	उक्त के अतिरिक्त इन जिलों के अन्य क्षेत्र	50 हजार रूपये	3 लाख (तीन लाख रूपये)	6 लाख (छः लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में	8 लाख (आठ लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में

उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10 क्रमशः रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्तियों हेतु देय अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, जमानत की राशि एवं उनके संचालन अवधि

अनुसूची –3.1 (देखें नियम – 7, 8 एवं 11)

रॉंची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम जिला सरायकेला खरसावाँ जिला में अवस्थित रेस्तराँ एवं बार के लिए

क्र0	*क्षेत्र/ अनुज्ञप्ति का नाम*	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*			
				बंद जगह में बार का संचालन होने पर		*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*	
				प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2:00 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2:00 बजे तक
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	रॉंची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय शहर एवं सरायकेला खरसावाँ जिला के आदित्यपुर शहर एवं उसकी सीमा के 3 KM का परिधीय क्षेत्र	1 लाख रूपये	6 लाख (छः लाख रूपये)	12 लाख (बारह लाख रूपये)	14 लाख (चौदह लाख रूपये)	14 लाख (चौदह लाख रूपये)	16 लाख (सोलह लाख रूपये)
2	रॉंची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ जिला के अन्य क्षेत्र	1 लाख रूपये	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	7 लाख (सात लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	11 लाख (ग्यारह लाख रूपये)

अनुसूची –3.2 (देखें नियम – 7, 8 एवं 11)

देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिला में अवस्थित रेस्तराँ एवं बार के लिए

क्र0	*क्षेत्र/ अनुज्ञप्ति का नाम*	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*			
				बंद जगह में बार का संचालन होने पर		*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*	
				प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग का मुख्यालय शहर एवं उसकी सीमा के 2 KM का परिधीय क्षेत्र	1 लाख रूपये	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	10 लाख (दस लाख रूपये)	11 लाख (ग्यारह लाख रूपये)	12 लाख (बारह लाख रूपये)
2	उक्त के अतिरिक्त इन जिलों के अन्य क्षेत्र	1 लाख रूपये	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	6 लाख (छः लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में	8 लाख (आठ लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में

अनुसूची –3.3 *(देखें नियम – 7, 8 एवं 11)*

दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार जिला में अवस्थित रेस्तराँ एवं बार के लिए

क्र0	*क्षेत्र/ अनुज्ञप्ति का नाम*	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*			
				बंद जगह में बार का संचालन होने पर		*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*	
				प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक**	**प्रातः 10 बजे से रात्रि के 1:00 बजे तक**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार का मुख्यालय शहर एवं उसकी सीमा के 1 KM का परिधीय क्षेत्र	50 हजार रूपये	4 लाख (चार लाख रूपये)	8 लाख (आठ लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में	10 लाख (दस लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में
2	उक्त के अतिरिक्त इन जिलों के अन्य क्षेत्र	50 हजार रूपये	3 लाख (तीन लाख रूपये)	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में	7 लाख (सात लाख रूपये)	नियम 11.5 से 11.7 तक के आलोक में

अनुसूची –4 (देखें नियम – 7, 8 एवं 11)

उत्पाद प्रपत्र 7'A' में क्लब की अनुज्ञप्तियों हेतु देय अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, जमानत की राशि एवं उनके संचालन अवधि

क्र0	*क्षेत्र/ अनुज्ञप्ति का नाम*	*अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क*	*जमानत की राशि*	*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*		*वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क*	
				बंद जगह में बार का संचालन होने पर		*खुले जगह में बार का संचालन होने पर*	
				प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2:00 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12:00 बजे तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2:00 बजे तक
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ जिला क्षेत्र	1 लाख रूपये	6 लाख (छः लाख रूपये)	12 लाख (बारह लाख रूपये)	14 लाख (चौदह लाख रूपये)	14 लाख (चौदह लाख रूपये)	16 लाख (सोलह लाख रूपये)
2	देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिला	1 लाख रूपये	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	11 लाख (ग्यारह लाख रूपये)	11 लाख (ग्यारह लाख रूपये)	13 लाख (तेरह लाख रूपये)
3	दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार के जिला क्षेत्र	50 हजार रूपये	4 लाख (चार लाख रूपये)	8 लाख (आठ लाख रूपये)	लागू नहीं	10 लाख (दस लाख रूपये)	लागू नहीं
4	केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के क्लब, स्टेट गेस्ट हाउस इत्यादि में अवस्थित बार संचालित किये जायेंगे	25 हजार रूपये	1 लाख (एक लाख रूपये)	2 लाख (दो लाख रूपये)	3 लाख (तीन लाख रूपये)	4 लाख (चार लाख रूपये)	5 लाख (पाँच लाख रूपये)

अनुसुची –5 (देखें नियम – 7 एवं 19)

अस्थायी / Occasional Bar की देय अनुज्ञप्ति शुल्क एवं उनके संचालन अवधि की विवरणी

क्र0	*अस्थायी / Occasional Bar के लिए स्थल*	*बंद कमरे में मदिरा परोसे जाने पर अनुज्ञप्ति शुल्क*		*खुले स्थलों में मदिरा परोसे जाने पर अनुज्ञप्ति शुल्क*	
		प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12 तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2 तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 12 तक	प्रातः 10 बजे से रात्रि के 2 तक
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1	मनोरंजन स्थल, वाणिज्यिक संस्थाओं यथा क्लब, मैरेज हॉल, होटल, रेस्तराँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बारात घर, खेल हेतु स्टेडियम इत्यादि में (क्रम संख्या 2 के अतिरिक्त झारखंड राज्य के अन्य जिला)	रू0 10000/– (दस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 20000/– (बीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 20000/– (बीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 40000/– (चालीस हजार रूपये) प्रतिदिन
2	मनोरंजन स्थल, वाणिज्यिक संस्थाओं यथा क्लब, मैरेज हॉल, होटल, रेस्तराँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बारात घर, खेल हेतु स्टेडियम इत्यादि में (राँची, धनबाद, पूर्वी सिहंभूम एवं सरायकेला खरसावाँ जिला)	रू0 20000/– (बीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 30000/– (तीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 30000/– (तीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 40000/– (चालीस हजार रूपये) प्रतिदिन
3	झारखंड राज्य में अवस्थित 3, 4 एवं 5 स्टार होटल	रू0 30000/– (तीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 40000/– (चालीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 40000/– (चालीस हजार रूपये) प्रतिदिन	रू0 50000/– (पचास हजार रूपये) प्रतिदिन

नोट :– प्रतिदिन का अर्थ प्रातः 10:00 बजे से लेकर रात्रि 12:00 बजे तक के लिए है।

अनुसूची –6.1 (देखें नियम 8)

होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के समय समर्पित किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं, ..., पिता – ...., ... का निवासी हूँ। मैं, **''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026''**के तहत . ... जिला में होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्ति लेने हेतु सभी अर्हताओं को पूरी करता हूँ एवं इस अनुज्ञप्ति को लेने हेतु इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि –

i. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ एवं मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक है।

ii. यह कि मैं .... (व्यक्तिगत/प्रोपराइटरशीप फर्म के मालिक/HUF के कर्त्ता/निबंधित साझेदारी फर्म/निबंधित सोसाइटी/कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि) के रूप में होटल, रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10)/रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10)/क्लब (उत्पाद प्रपत्र 7'A') (जो वांछित न हो, उसे काट दें) की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित कर रहा हूँ।

iii. यह कि जिस स्थल पर मैं अनुज्ञप्ति संचालित करना चाहता हूँ वह ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026'' के नियम ...., ..., ... एवं .... (जो लागू न हो, उसे काट दें) में वर्णित सभी अनिवार्य मापदण्डों को पूर्ण करता हूँ।

iv. यह कि प्रस्तावित परिसर तामिलनाडू राज्य बनाम के॰ बालू एवं एतद् संबंधी अन्य वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों में मदिरा बेचे या परोसे जाने वाले स्थल से संबंधित निर्देशों में वर्णित प्रतिबंधों से आच्छादित नहीं है।

v. यह कि मैं समय–समय पर यथा संशोधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के प्रावधानों के अनुकूल उस स्थान पर होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब खोलने हेतु आपत्तिरहित उपयुक्त परिसर रखता हूँ अथवा किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर लिया हूँ (जो वांछित न हो, उसे काट दें)।

vi. यह कि प्रस्तावित होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब (जो वांछित न हो, उसे काट दें) के परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

vii. यह कि मेरा/मेरे साझेदारों/निदेशक मंडल का नैतिक चरित्र अच्छा है और इनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का

झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 तथा भारत में लागू अन्य कानूनों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किये गये हैं।

viii. यह कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मैनेजर/विक्रेता/बार टेंडर/वेटर के रूप में नियुक्त नहीं करूँगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम उम्र का हो।

ix. यह कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अपने प्राधिकृत मैनेजर/विक्रेता/बार टेंडर/वेटर का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करूँगा एवं वे संचालन अवधि में उसे पहने रहेंगे।

x. यह कि मेरे तथा मेरे फर्म/कम्पनी के उपर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

xi. यह कि मेरे तथा मेरे फर्म/कम्पनी सक्रिय रूप से अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि मैं/मेरे फर्म एवं उसके सभी साझेदार/कम्पनी एवं उसके सभी निदेशक अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो प्रदत्त अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाए।

xii. यह कि मैं ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026'' में यथानिर्धारित जमानत राशि (Security Deposit) विभाग के राजकीय खाते में विहित विधि अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जैसा कि आयुक्त उत्पाद निर्धारित करें, अनुज्ञप्ति स्वीकृति के पश्चात जमा करूँगा।

xiii. यह कि मैं आयकरदाता हूँ/नहीं हूँ, होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयन होने के उपरांत मैं आगामी वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करूँगा।

xiv. यह कि मैं झारखंड राज्य कर विभाग में GST तथा VAT का निबंधन करा चुका हूँ। यह कि अभी मैं झारखंड के राज्य कर विभाग में GST/VAT निबंधित नहीं हूँ, परंतु अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित होने के उपरांत निबंधन करा लूँगा। (जो वाक्य लागू न हो उसे काट दें)

xv. यह कि मैं दिवालिया नहीं हूँ और आवश्यक निधि रखता हूँ या मेरे कारोबार के सम्व्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबंध कर लिया है, जिसका ब्यौरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाईसेंस प्राधिकार को उपलब्ध करा दूँगा।

xvi. यह कि मैं होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरांत इसे किसी अन्य व्यक्ति को सबलीज नहीं करूँगा।

xvii. यह कि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत मैं अनुसूचित वाणिज्यिक (Scheduled Commercial) बैंक में चालू खाता खोलूँगा।

xviii. यह कि मेरे द्वारा होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्ति के लिए समर्पित किये गये सभी अभिलेख सही है एवं भविष्य में इस संबंध में यदि विभाग को इन अभिलेखों से संबंधित विपरित तथ्य संज्ञान में आता है, तो मेरी अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने योग्य होंगी।

xix. यह कि बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर छेड़-छाड़ नहीं करूँगा। अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखूँगा, न ही होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब में नॉन डयूटी पेड स्टॉक रखूँगा। ऐसा करते पाये जाने पर मेरी अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

xx. यह कि होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार/क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर में सीलबंद मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। ऐसा करते पाये जाने पर मेरी अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

xxi. यह कि मेरे द्वारा अनुज्ञप्ति संचालन के क्रम में भारत सरकार द्वारा पारित सभी अधिनियम/नियम तथा झारखण्ड सरकार द्वारा परित सभी अधिनियम/नियम का अनुपालन किया जायेगा। उक्त अधिनियम अथवा नियम के उल्लंघन की स्थिति में मैं/हम पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। इस क्रम में विशेष रूप से झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 2000 (पूर्व का झारखण्ड उत्पाद अधिनियम II, 1915), झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखण्ड अग्निशमन अधिनियम 2024, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985, छोआ अधिनियम 1947, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, झारखण्ड विद्युत अधिनियम 2003, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) अधिनियम 2006, झारखण्ड मूल्य वर्धित कर (VAT) अधिनियम 2005 एवं वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिनियम 2017 के अन्तर्गत बने सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करूंगा/करूंगी।

xxii. यह कि उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि विभाग/सरकार को मिलती है, तो मेरी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है एवं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा एवं मेरे उपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

xxiii. यह कि मेरे द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब

(अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026'' को पढ़ लिया गया है और मैं इसके सभी शर्त्तों से सहमत हूँ।

xxiv. यह कि ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026'' एवं अनुज्ञप्ति के शर्त्तों के उल्लंघन के लिए मेरी अनुज्ञप्ति विखंडित किये जाने योग्य होगी तथा इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

नोटरी पब्लिक का हस्ताक्षर एवं उनकी पहचान संख्या

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

अनुसूची –6.2 (देखें नियम 19)

अस्थायी / *Occassional Bar* की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र

मैं, ..., पिता – ...., ... का निवासी हूँ। मैं, **''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026''**के तहत . ... जिला में होटल, रेस्तराँ एवं बार / रेस्तराँ एवं बार / क्लब की अनुज्ञप्ति लेने हेतु सभी अर्हताओं को पूरी करता हूँ एवं इस अनुज्ञप्ति को लेने हेतु इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि –

i. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ एवं मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक है।

ii. यह कि मैं .... (व्यक्तिगत / प्रोपराइटरशीप फर्म के मालिक / HUF के कर्त्ता / निबंधित साझेदारी फर्म / निबंधित सोसाइटी / कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि) (जो वांछित न हो, उसे काट दें) के रूप में अस्थायी / Occassional Bar की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने आवेदन समर्पित कर रहा हूँ।

iii. यह कि मेरा / मेरे साझेदारों / निदेशक मंडल का नैतिक चरित्र अच्छा है और इनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 तथा भारत में लागू अन्य कानूनों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किये गये हैं।

iv. यह कि अस्थायी / Occassional Bar की अनुज्ञप्ति हेतु मैंने GRN No.......................... दिनांक .... द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में रू0 ..../– राज्य कोषागार में जमा कर दिया है।

v. यह कि इस अनुज्ञप्ति के तहत अस्थायी / Occassional Bar का संचालन दिनांक .... से दिनांक .... तक किया जायेगा।

vi. यह कि इस अस्थायी / Occassional Bar में मेरे द्वारा भारत निर्मित विदेशी शराब / भारत में आयातित विदेश निर्मित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) / बीयर ही परोसी जायेंगी।

vii. यह कि अस्थायी / Occassional Bar के लिए मदिरा का क्रय झारखंड राज्य के .... जिला के खुदरा उत्पाद दुकान से ही करूँगा।

viii. यह कि अन्य स्थलों से लायी गई Non Duty Paid मदिरा को अस्थायी / Occassional Bar में परोसा नहीं जायेगा। ऐसा करते हुए पाये जाने पर झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार मेरे ऊपर दण्डात्मक कार्रवाई की

जा सकेगी एवं अनुसूची– .... में वर्णित अर्थदण्ड के अनुरूप आयोजक/स्थल मालिक के दोनों के ऊपर दाण्डिक शुल्क अधिरोपित किया जा सकेगा।

ix. यह कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मैनेजर/विक्रेता/बार टेंडर/वेटर के रूप में नियुक्त नहीं करूँगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम उम्र का हो।

x. यह कि मेरे तथा मेरे फर्म/कम्पनी के उपर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

xi. यह कि मैं दिवालिया नहीं हूँ और आवश्यक निधि रखता हूँ तथा सभी प्रकार की मदिरा का क्रय झारखंड राज्य के .... जिला में अवस्थित खुदरा उत्पाद दुकान से ही करूँगा।

xii. यह कि बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर छेड़-छाड़ नहीं करूँगा। अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखूँगा, न ही अस्थायी बार/Occassional Bar में नॉन डयूटी पेड स्टॉक रखूँगा।

xiii. यह कि अस्थायी बार/Occassional Bar के अनुज्ञप्ति परिसर में सीलबंद मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

xiv. यह कि उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि विभाग/सरकार को मिलती है, तो मेरे उपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

xv. यह कि मेरे द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026'' को पढ़ लिया गया है और मैं इसके सभी शर्त्तों से सहमत हूँ।

नोटरी पब्लिक का हस्ताक्षर एवं उनकी पहचान संख्या

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

अनुसूची –7.1 (देखें नियम 16)

होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में की गई अनियमितता एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए प्रशमणीय शुल्क –

क्र0	*अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार*	*प्रशमन शुल्क (रू0 में)*
1	**2**	**3**
1	स्टॉक रजिस्टर मांगने पर न प्रस्तुत करना	10000 (दस हजार)
2	स्टॉक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना	10000 (दस हजार)
3	डयूटी पेड स्टॉक को अनाधिकृत परिसर/गोदाम में संचित करना।	10000 (दस हजार)
4	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारी को पेग (Peg) के अनुसार विक्रय मूल्य को प्रदर्शित नहीं किया जाना।	10000 (दस हजार)
5	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना/कीट नियंत्रण नहीं कराया जाना।	10000 (दस हजार)
6	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर के दृष्टिसुलभ स्थल पर Anti Drug Awarness Warning (Signage Board) स्टील बोड अधिष्ठापित नहीं किया जाना	10000 (दस हजार)
7	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर में Decible Meter का नहीं रखा जाना	10000 (दस हजार)
8	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर (No Smoking Zone) में Smoking करते हुए पाया जाना	10000 (दस हजार)
9	Peg में माप से कम मदिरा परोसा जाना	25000 (पच्चीस हजार)
10	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर में रात्रि 10:00 बजे के उपरांत तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाना	25000 (पच्चीस हजार)
11	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर में अलग से Smoking Zone का नहीं बनाया जाना	25000 (पच्चीस हजार)
12	सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये बगैर महिला कर्मी की नियुक्ति।	25000 (पच्चीस हजार)
13	मापतौल विभाग से सत्यापित Peg मापक जार का नहीं पाया जाना।	50000 (पचास हजार)
14	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के संचालन अवधि से अधिक समय तक अनुज्ञप्ति परिसर का संचालन करना	50000 (पचास हजार)
15	उत्पाद प्रपत्र 18'A' में माइक्रो ब्रीवरी के अनुज्ञप्ति परिसर में Mass Flow Meter का अधिष्ठापन नहीं किया जाना	50000 (पचास हजार)
16	बिना अनुमति के परिसर में परिवर्तन करना।	50000 (पचास हजार)
17	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के परिसर में CCTV Camera का संचालन नहीं होना।	50000 (पचास हजार)
19	खाली बोतलों को क्षेत्रीय उत्पाद पदाधिकारी की उपस्थिति के बगैर विनष्ट करना अथवा विनष्ट नहीं किया जाना	50000 (पचास हजार)
20	अस्त्र–शस्त्र के साथ अनुज्ञप्ति परिसर में प्रवेश करने पर हथियार धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर	100000 (एक लाख रूपये)
21	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01 से 20 तक पर अंकित न हो।	इस संबंध में अनियमितता दर्ज करते हुए जिला उत्पाद पदाधिकारी द्वारा आयुक्त उत्पाद को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा

अनुसूची –7.2 (देखें नियम 19)

अस्थायी / Occational Bar में की गई अनियमितता के लिए प्रशमणीय शुल्क की विवरणी

क्र0	*अनियमितता / उल्लंघन का प्रकार*	*प्रशमन शुल्क (रू0 में)*
1	**2**	**3**
1	अस्थायी / Occassional Bar के परिसर में अन्य राज्यों की बिक्री की मदिरा अथवा Non Duty Paid मदिरा पाया जाना	अस्थायी अनुज्ञाधारी एवं स्थल मालिक, दोनों पर 100000–100000 / –
2	खुदरा उत्पाद दुकानों से क्रय की गई मदिरा का अभिश्रव मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं करना।	10000 (दस हजार)
3	रात्रि 10 के उपरांत अस्थायी बार में तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाना	25000 (पच्चीस हजार)
4	अस्थायी बार के संचालन अवधि से अधिक समय तक अनुज्ञप्ति परिसर का संचालन करना	50000 (पचास हजार)

अनुसूची –8 (देखें नियम– 19)

अस्थायी बार हेतु समर्पित किये जाने वाले दस्तावेज

अस्थायी एवं Ocassional Bar की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किये जायेंगे :–

8.1 आयोजक द्वारा स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जिसमें आयोजन की तिथि, उद्देश्य एवं स्थान का स्पष्ट ब्यौरा अंकित हो।

8.2 आवेदक का पहचान पत्र।

8.3 आवेदक का स्थायी पता से संबंधित प्रमाण पत्र/कागजात।

8.4 आयोजन के समय में आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने संबंधित शपथ पत्र।

8.5 दुकान/दुकानों का नाम, जिससे मदिरा का क्रय किया जायेगा ।

8.6 वांछित अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान अथवा ऑनलाइन विधि से सरकारी कोषागार में जमा की गई राशि का प्रमाण।

13.7 अनुसूची– 11.3 के अनुरूप शपथ पत्र ।